



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- भरतपुर में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं उनका दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 09 दिसम्बर, शुक्रवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये डॉ. मोहन सिंह वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी, जिला भरतपुर को उसके दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके एवं उसके भाई की छोटों का मेडिकल मुआयना करने एवं छोटों को गंभीर प्रकृति की दर्शाने के लिये एकस-रे एडवाईज करने की एवज में डॉ. मोहन सिंह वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी, जिला भरतपुर द्वारा अपने दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 30 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन तथा एसीबी की भरतपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश मीणा के नेतृत्व में मय टीम द्वारा आज पहाड़ी, भरतपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये डॉ. मोहन सिंह पुत्र श्री मोरध्वज जाट निवासी थून, पुलिस थाना नगर, जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी, जिला भरतपुर एवं उसके दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली पुत्र श्री राममोहन वैश्य निवासी सरकारी हास्पिटल के पास, पहाड़ी, जिला भरतपुर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपीयान के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।